न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 225 /2021

वादी :- चेतनराम पुत्र केताराम मेघवाल निवासी खिण्डा कुंआ

बनाम

प्रतिवादीगण :- 1 जीजाराम, शिवाराम पि. केताराम, पानी बेवा मेताराम मेघवाल नि. आडियावास
2. तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री स्वयं स्वय वादी।
2. श्री स्वयं प्रविवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 3/12/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त पैतृक खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 122, 250 रकबा 16.10-01 बीघा, सरहद मौजा आनियाना, खिंडुणा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादी नाबालिंग होने से बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम उत्माराम, शेतानराम होने से राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार से नाम दर्ज किया गया । जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आयकर विभाग द्वारा जारी पेन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस एवं स्कूल रेकर्ड में वादी का सही नाम चेतनराम दर्ज है। वादी को किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज उत्माराम, शेतानराम के स्थान पर चेतनराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:19:35 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेष कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम उत्माराम, शैतानराम के स्थान पर चेतनराम दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 122, 250 रकबा 16, 10-01 बीघा, सरहद मौजा जासियाना, बिठुजा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम उत्माराम, शैतानराम दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत ~~समसीन~~ सराणा एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम उत्माराम, शैतानराम दर्ज किया गया है वादी का सही नाम चेतनराम है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 122, 250 रकबा 16, 10-01 बीघा, सरहद मौजा जासियाना, बिठुजा ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम उत्माराम, शैतानराम पुत्र केसाराम ... के स्थान पर चेतनराम पुत्र केसाराम खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 3/12/21 को कोर्ट केम्प कोर्ट सराणा में मजमे आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:19:35 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट........सराणा.........

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 चेतनराम पुत्र केताराम मेगवाल निवासी सिणा कुंआ तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		ओजाराम, किशनाराम पि० केताराम, पानी बेवा केताराम मेगवाल नि० सिण्डा जाखियाणा राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री ....स्वयं.......... ..वादी स्वंय मिनजानिब श्री ....स्वयं.................... पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा नं ....122, 250.........................रकबा ....16, 10-01.......... बीघा, सरहद मौजा ......जाखियाना, सिकुजा ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......इसमाराम, शैतानराम....पुत्र ....केराराम ...... के स्थान पर ....चेतनराम.......... पुत्र ....केताराम........खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....3/12/21......... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:19:35 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प अरजी महंताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुम्मनामा मुतफरिक मीजान		